राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3786/2025

सविता माहिच

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुंनू।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जाखोद, ब्लॉक सुरजगढ़, जिला झुंझुंनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.08.2025
आदेश की दिनांक : 21.08.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल सिंह खर्रा, केवियटर

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–II, अंग्रेजी के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जाखोद, ब्लॉक सुरजगढ़ झुंझुंनू में कार्यरत है। अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2018 में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–II अंग्रेजी के पद पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, जाखोद में हुई थी। तत्पश्चात् उक्त विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जाखोद, ब्लॉक सुरजगढ़ जिला झुंझुनू में पदस्थापन किया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत कर कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलर्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पूव आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरण कर दिया था। जिसके अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष चुनौति देते हुए अपील संख्या 36/2025 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा स्थानान्तरण आदेश पर रोक लगाते हुए स्थगन प्रदान किया गया। अपीलार्थी ने अधिकरण के आदेश की अनुपालना में दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यमुक्त करने का निवेदन किया। परन्तु अपीलार्थी को इस आधार पर पुनः कार्यग्रहण नहीं करवाया की स्थगन आदेश प्रभावी था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2025 के अनुसरण में अपीलार्थी को कार्यमुक्त करे तथा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II, अंग्रेजी के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जाखोद जिला झुंझुंनू में कार्यभार ग्रहण करने एवं समस्त वेतन–भत्ते प्रदान किये जावे।

3. हमनें उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–II, अंग्रेजी के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जाखोद, ब्लॉक सुरजगढ़ झुंझुंनू में कार्यरत है। अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2018 में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–II अंग्रेजी के पद पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, जाखोद में हुई थी। तत्पश्चात् उक्त विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जाखोद, ब्लॉक सुरजगढ़ जिला झुझुनू में पदस्थापन किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरण कर दिया था। जिसको अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष चुनौति देते हुए अपील संख्या 36/2025 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 के द्वारा स्थानान्तरण आदेश पर रोक लगाते हुए स्थगन प्रदान किया गया। अपीलार्थी ने अधिकरण के आदेश

की अनुपालना में दिनांक 22.07.2025 के द्वारा कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया। परन्तु अपीलार्थी ने अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जाना सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध प्रकट होता है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 22.07.2025 के अनुसरण में अपीलार्थी को कार्यमुक्त करे तथा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II, अंग्रेजी के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जाखोद जिला झुंझुनू में कार्यभार ग्रहण करवाया जावे। उक्त आदेश की पालना एक माह में किया जाना सुनिश्चित करे। इस निर्देश के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)